राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1711/2007/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता 6, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संजय स्टील एन्टरप्राईजेज, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 511/02–03/आरएसटी में पारित आदेश दिनांक 28.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता 6, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2002 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति 71190/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.11.2002 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 21/जी–0254 को चैक किया गया। वाहन चालक ने वाहन में लदे माल यथा आयरन एण्ड स्टील भरे थे जिसके संबंध में वाहन चालक ने चालान एवं बिल्टी मैसर्स संजय स्टील एन्टरप्राईजेज अजमेर का बिल बिरला धर्म कांटे की पर्ची पेश की। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल के साथ बिल संदेहास्पद माना क्योंकि उस पर दिनांक 19.11.2002 अंकित की हुई थी जबकि जांच दिनांक 18.11.2002 को की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त वाहन चालक से जो बयान लिये उसमें वाहन चालक द्वारा यह बताया गया कि माल एक ही फैक्ट्री से लदान किया गया है जबकि व्यवसाई द्वारा दो बिलों से दौ फैक्ट्रियों से माल का लदान किया जाना जाहिर किया। वाहन में 6 एमएम, 8 एमएम का सरिया, 12 एमएम का स्कवेयर सरिया, 3/4 इन्च, ए इन्च, डेढ इन्च की लोहा पत्तिया लदी पाई गई है जबकि बिल में 20 एमएम का रेक्टैन्गायूलर के अलावा अन्य कोई विगत नहीं है और न ही मदवार वजन दर्शाया हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा जो माल दो व्यवसाईयों से खरीद किया गाय है उसका मिलान माल के साथ संलगन बिल से नहीं होता है जो कि प्रत्यर्थी की कर चोरी की नियत स्पष्ट करता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने माल कीमतन रूपये 2,37,29,225/– पर शास्ति रूपये 71,190/– आरोपित की गई। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.02.2007 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन चालक ने वाहन में लदे माल यथा आयरन एण्ड स्टील भरे थे जिसके संबंध में वाहन चालक ने चालान एवं बिल्टी मैसर्स संजय स्टील एन्टरप्राईजेज अजमेर का बिल बिरला धर्म कांटे की पर्ची पेश की। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल के साथ बिल संदेहास्पद माना क्योंकि उस पर दिनांक 19.11.2002 अंकित की हुई थी जबकि जांच दिनांक 18.11.2002 को की गई। प्रत्यर्थी द्वारा जो माल दो व्यवसाईयों से खरीद किया गाय है उसका मिलान माल के साथ संलगन बिल से नहीं होता है जो कि प्रत्यर्थी की कर चोरी की नियत स्पष्ट करता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि माल के समर्थन में समस्त बिल व बिल्टी पेश कर दिये थे जिससे की धारा 78(2) की पूर्ति हो जती है, अतः जब धारा 78(2) की पूर्ति हो जाती है तो धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि उक्त माल 4 प्रतिशत कर चुका कर अपीलकर्ता द्वारा खरीद किया गया था जिसे प्रत्यर्थी द्वारा मै0 कुमावत ट्रेडर्स जयपुर को बिल क्रमांक 474/18.11.2002 को बेचे जाने हेतु परिवहनित किया जा रहा था जिसमें गलती से दिनांक 18.11.2002 अंकित हो गई। इसके लिये शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती विशेषतः उस स्थिति में जब माल कर चुका हो अपने कथन कि समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड अजमेर की अपील संख्या 61/93/अलवर के निर्णय का हवाला देते हुए आरोपित शास्ति को अविधिक बताया। अतः उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। दिनांक 18.11.2002 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 21/जी–0254 को चैक किया गया। वाहन चालक ने वाहन में लदे माल यथा आयरन एण्ड स्टील भरे थे जिसके संबंध में वाहन चालक ने चालान एवं बिल्टी मैसर्स संजय स्टील एन्टरप्राईजेज अजमेर का बिल बिरला धर्म कांटे की पर्ची पेश की। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना जांच किये कि क्या माल कर चुका था तथा क्या व्यवसाई की करापवंचन की मंशा थी मात्र कल्पना के आधार पर शास्ति आरोपित कर दी। जब यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि माल कर चुका नहीं था तो उसे कर चुका ही मानना होगा और ऐसी स्थिति में कर चोरी की संभावना होने का संदेह रखना व्यर्थ है। प्रत्यर्थी द्वारा माल से संबंधित समस्त बिल प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य